न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 30/2017 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

कृष्ण कुमार महर्षि आत्मज श्री कृपा शंकर शर्मा निवासी 4843 ईएस.आई. डिस्पेन्सरी के पास घोड़ा निकास रोड़, रामगंज चौपड़, जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः 30.11.2017

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 6.05.2017 को श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर को सम्बोधित आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। उक्त आवेदन पत्र को अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी विकास शाखा कलक्ट्रेट जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को पत्र क्रमांक विकास–1/आरटीआई/2017/1908 दिनांक 17.05.2017 को अन्तरित किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 01.11.2017 को जरिये डाक इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। किन्तु सूचना प्राप्त नही हुई। अपीलांट स्वयं अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नही हुंई है। अपीलांट ने अभी तक सूचना नही मिलना अपील में अंकित किया है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2017 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो शीध्र निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

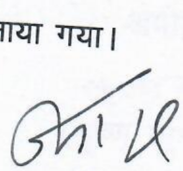

(डा. मोहन लाल यादव)